इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 6 अंक सं. : 5 दिसम्बर, 2013

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूी

मुख्य घटनाएं ---------- ----------1
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां / बैंकिंग ागत की घटनाएं----------2
विनियामकों के कथन - ----------3
विदेशी मुद्रा ----------4
नयी नियुक्तियां / उत्पाद एवं गठजोड ----------5
सूक्ष्मवित्त ---------- 5
बीमा / बैंकिंग मामलों से सम्बन्धित कानून ----------6
बासेल -III - पूंजी विनियमन ----------6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं / शब्दावली ---------- --------7
संस्थान की गतिविधियां ----------7
संस्थान समाार----------7

बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

पहले पूर्णत: महिला बैंक द्वारा परिचालन की शुरूआत

सरकार ने 19 नवम्बर, 2013 को "भारतीय महिला बैंक" कहे जाने वाले देश के पहले पूर्णत: महिला बैंक की शुरुआत कर दी है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म-दिवस पर बैंक का उद्घाटन करते हुए प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि उक्त बैंक महिलाओं के वित्तीय समावेशन में समर्थन प्रदान करेगा तथा समाज के कमतर सुविधाप्राप्त खण्डों से महिलाओं को लाभ पहुंचाएगा। भारतीय महिला बैंक ने कोलकाता, चेन्नै और गुवाहाटी में शाखाओं सहित 7 शाखाओं के साथ परिचालन आरंभ कर दिया है। वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने कहा कि "भारत में केवल 26% म हिलाओं के पास बैंक खाता है; इसप्रकार, पुरुषों की तुलना में काफी कम महिलाएं ही ऋण प्राप्त करने में समर्थ हैं। अतएव, एक ऐसे बैंक की आवश्यकता है जो मुख्य रूप से स्वयं सहायता समूहों और छोटे व्यवसाय में संलग्न महिलाओं से लेकर कामकाजी महिलाओं एवं उच्चतर निवल हैसियत वाले व्यक्तियों की श्रेणी से सम्बन्धित महिलाओं की सेवा करे।" श्रीमती उषा अनंतसुब्रमणियन, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के अनुसार भारतीय महिला बैंक महिलाओं को शिक्षा, आवास खाद्य एवं खान-पान, पालना-घर व्यवसाय और लघु एवं मध्यम उद्यम आरंभ करने जैसे उद्देश्यों के लिए विविध प्रकार के ऋण प्रदान करेगा। भारतीय महिला बैंक एक ऐसा सर्वव्यापी बैंक होगा जो बीमा, पारस्परिक नि धियों और वाणिज्यिक / निवेश बैंकिंग जैसी वित्तीय सेवाओं सहित बहुविध गतिविधियां आरंभ करेगा।

अपने कार्ड से खरीदारी करते समय आप के लिए व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) अनिवार्य

1 दिसम्बर से व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) अनिवार्य है, क्योंकि ग्राहकों को किसी खुदरा बिक्री केन्द्र पर उनके कार्डों को स्वाइप करने के बाद उसे पंच करने की जरूरत होती है। इसका अभिप्रेत लेन-देनों

को अधिक सुरक्षित बनाना है। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार कार्डों और एटीएमों के बढ़ते उपयोग से धोखाधड़ियों की गुंजाइश बढ़ गई है। जहां धोखाधड़ियों के वर्तमान स्तर कम हैं, वहीं घरेलू जालसाज़ी और मलाई मारने के मामले देखने में आ रहे हैं। वर्तमान में ालसाज़ी वाली धोखाधड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रालन में है।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

साम्यिक बंधकों के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को 31 मार्च 2011 को या उसके बाद उनके पक्ष में सृजित सभी साम्यिक बंधकों को केन्द्रीय रजिस्ट्री के पास प्रस्तुत करने और उनके रिकार्ड पंजीकृत करवाने की सलाह दी है। इससे धोखाधड़ियों के अवसर कम करने में सहायता प्राप्त होगी, क्योंकि सूचना तुरंत उपलब्ध होगी।

विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा अधिनियम (FEMA), 1999 के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) की आवश्यकता से छूट देने का निर्णय लिया है। हालांकि, सम्बन्धित वित्तीय क्षेत्र के विनियामक द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट अनिवासी निवेशकों की तुलना में 'किसी योग्य एवं उपयुक्त / विहित कर्तव्यपरायणता' वाली आवश्यकता का अनुपालन करना होगा।

महिलाओं के समूह को ऋण 7% पर दिए जाएंगे

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को 7% प्रति वर्ष की दर पर ऋण प्रदान करने का निदेश दिया है, ताकि उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ब्याजगत सरकारी अनुदान योजना का लाभ प्राप्त हो सके। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सरकारी अनुदान प्रभारित भारित औसत ब्याज और 7% के बीच अंतर की सीमा तक वित्त वर्ष 2014 के लिए 5.5% की अधिकतम सीमा तक की शर्त पर दिया जाएगा। यह सरकारी अनुदान सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को इस शर्त पर उपलब्ध होगा कि वे 150 जिलों में स्वयं सहायता समूह को ऋण 7% पर उपलब्ध कराएं। इसके अतिरिक्त, स्वयं सहायता समूहों को ऋण की त्वरित चुकौती करने पर 3% का अतिरिक्त सरकारी अनुदान दिया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूहों को 1 दिसम्बर को या उसके बाद स्वीकृत 3 लाख रुपये तक के सभी ऋणों के मामले में बैंकों को आवश्यक रूप से 7% की ब्याज दर प्रभारित करनी चाहिए। हालांकि, 1 अप्रैल, 2013 और 30 नवम्बर, 2013 के बीच प्रदत्त ऋणों के मामले में बैंकों को स्वयं सहायता समूहों के सभी मौजूदा ऋण खातों के मामले में 1 अप्रैल, 2013 से ब याज दर को 7% में परिवर्तित कर देना चाहिए।

विदेशी बैंक सहायक कम्पनी वाला मार्ग पूंजीगत अभिलाभ मे कर-छूट हेतु अपना रहे हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि भारत में अपने शाखा धारिता परिचालनों को पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कम्पनी में परिवर्तित करने के इच्छुक विदेशी बैंकों को पूंजीगत अभिलाभ कर और स्टाम्प

शुल्क से छूट प्राप्त होगी। यह छूट वित्त अधिनियम, 2012 और बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 से उद्भूत होती है जो किसी विदेशी बैंक की किसी शाखा के पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कम्पनी में परिवर्तन को क्रमश: पूंजीगत अभिलाभ कर और स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करता है। इसके पूर्व कुछेक विदेशी बैंकों ने सहायक कम्पनियों में परिवर्तन से उठने वाले मुद्दों पर अपनी अन्यमनस्कता दर्शाँई थी।

बैंक ईएमवी मानदंड अपनाने के लिए स्वतंत्र

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यूरोपे, मास्टरकार्ड और वीसा (EMV) मानदंड अपनाने की सलाह दी है । यूरोपे, मास्टरकार्ड और वीसा मानदंडों को अपनाने हेतु विशिष्ट रूप से अधिदिष्ट न किए गए कार्डों की तुलना में बैंक यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं कि उन्हें एक अतिरिक्त अधिप्रमाणन के रूप में आधार को अपनाना चाहिए या फिर कार्ड को सुरक्षित करने के लिए यूरोपे, मास्टरकार्ड और वीसा की चिप और पिन प्रौद्योगिकी अपनानी चाहिए। इस उद्देश्य से भुगतान की वर्तमान मूलभूत सुविधा को यूरोपे, मास्टरकार्ड और वीसा की चिप और पिन तथा आधार (जीव-सांख्यिकीय वैधीकरण) स्वीकृति दोनों ही के लिए समर्थ बनाया जाना होगा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 9% के पूंजी पर्याप्तता अनुपात नियम का पालन करना चाहिए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) को उनके संक्रामी चरण को समाप्त करते हुए इस वर्ष से न्यूनतम 9% के पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) नियम का पालन करने का निर्देश दिया है। इस नियम को भारतीय बैंकों के पूंजी आधार को सुदृढ़ करने हेतु लागू किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए जोखिम-भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (CRAR) ढांचे की शूरुआत दिसम्बर, 2007 में की थी। वित्त वर्ष 2007-08 के अंत में 84 में से 22 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जोखिम-भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (CRAR) 1% से कम था। 33 बैंकों का जोखिम-भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (CRAR) 7% से कम था। समामेलन और
समेकन के कतिपय दौरों के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या घट कर 51 रह गई है। कमजोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन और पुनर्पूंजीकरण द्वारा समेकन के परिणामस्वरूप उनके लिए न्यूनतम जोखिम-भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (CRAR) निर्धारित करने का निर्णय ि लया गया है।

बैंकों की एसएमएस चेतावनी पर भारतीय रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कि एसएमएस चेतावनियों के प्रभार सभी ग्राहकों से वास्तविक उपयोग के आधार पर वसूल किए जाएं उनके और दूरसंचार सेवा-प्रदाताओं पास उपलब्ध प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए कहा है। उपलब्ध प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए इसे एसएमएस चेतावनियों के वास्तविक उपयोग पर संभव होना चाहिए।

बैंकिंग ागत की घटनाएं

टाटा द्वारा एटीएमों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को ब़ावा

टाटा समूह सबसे कम बैंकिंग सुविधा वाले िलों में किसी बैंक द्वारा स्वाधिकृत एवं परिाालित न किए ााने वाले सफेद लेबल वाले एटीएमों के सहारे नकदी सुपुर्दगी के माध्यम से वित्तीय समावेशन को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है। पैठ बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग कम्पनियों को सफेद लेबल वाले ऐसे एटीएम अभिनियोजित करने की अनुमति दी है जो ग्राहकों को किसी भी बैंक के डेबिट कार्डों का उपयोग करते हुए नकदी आहरित करने की अनुमति देते हैं। टाटा कम्युनिकेशन्स पेमेन्ट सॉल्यूशन ने आगामी 3 वर्षों में 15,000 एटीएम लगाने की अनुमति प्राप्त की है, जिनमे से दो तिहाई छोटे कस्बों में होंगे। वह बड़े शहरों में स्थापित प्रत्येक 10 मशीनों के एवज में 3 मशीनें ग्रामीण इलाके में और 17 कस्बाई जिलों में लगाएगा। उक्त समूह ने अब तक 400 मशीनें लगाई हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए अधिक ऋण सुविधा की व्यवस्था

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के समक्ष उपस्थित चलनिधि के दबाव को कम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) को कुल 5,000 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त प्रदान करेगा, जो इन निधियों का उपयोग प्रत्यक्ष और उसके साथ ही पुन: उधार देने हेतु बैंकों को देने में करेगा। इसके अतिरिक्त मध्यम उद्यमों को बैंक उधार को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक इन इकाइयों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारों की परिधि में प्रदत्त वृद्धिशील ऋण को भी शामिल करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक की पुनर्वित्त सु विधा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा लघु उद्योग इकाइयों को प्राप्य राशियों (निर्यात की प्राप्य रा शियों सहित) का वित्तीयन करने हेतु प्रत्यक्ष चलनिधि सहायता के लिए अथवा चुनिंदा मध्यवर्ती संस्थाओं यथा- बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और राज्य वित्त निगमों (SFCs) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

कतिपय राष्ट्रों में आभासी बैंकिंग कम्पनियों को बैंकों के ऋण जोखिम (Exposure) में बढ़ोतरी

भारत सहित कतिपय देशों में ऐसी 'आभासी बैंकिंग" कम्पनियों को उनके बैंकों के ऋण जोखिम में उल लेखनीय वृद्धि परिलक्षित हुई है, जिनका आस्ति आधार वैश्विक स्तर पर बढ़ कर 2012 के अंत में 71 ट्रि लयन अमरीकी डालर हो गया। आभासी बैंकिंग प्रणाली ऋण के उस मध्यस्थीकरण से सम्बन्धित होती

है, जिसमें नियमित बैंकिंग प्राणाली के कार्य-क्षेत्र से बाहर वाली संस्थाएं और गतिविधियां शामिल होती हैं। हालांकि, हाल के वित्तीय संकट से कुछेक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की वित्तीय स्थिरता के लिए बैंक की भांति जोखिम सृजित करने हेतु बड़े पैमाने पर परिचालन करने की क्षमता का प्रदर्शन हुआ था। स्विटजरलैंड स्थित वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) की एक रिपोर्ट के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय

कम्पनियों की आस्तियों (बीमा कम्पनियों, पेंशन निधियों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर) में 2012 में 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई, जिससे वे 71 ट्रिलियन अमरीकी डालर हो गईं।

वाणिज्यिक पत्रों की दरों में सहूलियत के कारण ऋण वृद्धि की दर बढ़ कर 16.8% हुई

1 नवम्बर को समाप्त पखवाड़े के लिए खाद्येतर ऋण 16.83 % बढ़ कर पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 47,55,635 करोड़ रुपये के मुकाबले 55,56,078 करोड़ रुपये हो गया। पिछले पांच पखवाड़ों की ऋण वृद्धि 17% से अधिक के स्तर पर उन्नत बनी रही। यह वाणज्यिक पत्रों की बाज़ार दरों के बढ़ कर 10% से अधिक हो जाने के बाद कम्पनियों द्वारा उनकी उधार आवश्यकताओं को बाज़ारों से पूरा करने का रुख बैंकिंग प्रणाली की ओर मोड़ने के बाद हुआ। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बाज़ारों को चलनिधि बढ़ाने तथा उसकी सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) ब्याज दर को पिछले माह घटा कर 8.75% किए जाने के परिणामस्वरूप वाणिज्यिक पत्रों की दरें घट कर 9% से कम हो गईं हैं।

पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कम्पनियां गठित करने हेतु विदेशी बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड

विदेशी बैंकों को अब भारत में केवल स्वतंत्र सहायक कम्पनी के माध्यम से परिचालन करना होगा; वे मूल बैंक की एक शाखा के रूप में परिचालन नहीं कर सकते। भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी बैंकों के स्थानीय परिचालनों को उनके अपने देशों में प्रतिकूल घटनाओं से सुरक्षित रखने के लिए नये दिशा निर्देश घोषित किए हैं। हालांकि, कुछेक विदेशी बैंकों को उनके मूल बैंक की शाखा के रूप में परिचालन करने की अनुमति होगी। जटिल ढांचों वाले तथा ऐसे अधिकार क्षेत्रों, जो स्वदेश की जमाराशियों को अधिमानी महत्व प्रदान करते हैं, से सम्बन्धित सर्वांगी महत्वपूर्ण बैंकों के लिए पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कम्पनी (WOS) मॉडल अनिवार्य होगा। वर्तमान में, एक समूह के रूप में विदेशी बैंक (पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कम्पनियों से सम्बन्धित वचनबद्धता के अनुसार) प्रत्येक वर्ष भारत में 12 शाखाएं खोलने के पात्र हैं। किसी पूर्णत: सहायक कम्पनी की प्रारंभिक न्यूनतम पूंजी प्रारंभ में 500 करोड़ रुपये होगी। यह उन मौजूदा विदेशी बैंकों पर भी लागू होगी, जो परिवर्तित होने के इच्छुक हों। इसके अतिरिक्त, पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कम्पनियों से प्रारंभ से ही बासेल-III की आवश्यकताएं (9% की टियर-I पूंजी) पूरी करना अपेक्षित होगा। वास्तव में, पहले 3 वर्षों तक पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कम्पनियों को टियर-I पूंजी 10% पर बनाए रखना होगा।

बैंकों द्वारा 24 X7 स्वत: सेवा शाखाओं का गठन

बैंकों द्वारा नियमित कामकाा वाले समय के परे अधिकांश बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाली मानव-रहित इलेक्ट्रॉनिक शाखाएं खोले जाने के परिणामस्वरूप बैंकिंग सेवाएं समय की बधाओं को पार कर गई हैं। अब ग्राहक इन शाखाओं में तत्काल नकदी जमा कर सकते हैं, धन आहरित कर सकते हैं, चेक जमा कर सकते हैं और तुरंत रसीद प्राप्त कर सकते हैं, निधियां अंतरित कर सकते हैं, मीयादी जमा (खाता)

खोल सकते हैं तथा बैंक विवरणों तक पहुंच सकते हैं। ये शाखाएं इंटरनेट बैंकिंग तथा वीडियो वार्तायोजन (Conferece) के माध्यम से खाते से सम्बन्धित सूचना भी प्रदान कर सकती हैं।

अशोध्य ऋणों की वसूली करने में सरफेयसी अधिनियम सर्वाधिक प्रभावी

अनर्जक आस्ति ऋणों की बढ़ती प्रवृत्ति के बीच वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (सरफेयसी धिनियम) एक ऐसा सर्वाधिक शक्तिशाली साधन है, जो अशोध्य ऋणों को वसूल करने हेतु बैंकों को उपलब्ध है। सरफेयसी अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना तीन पद्धतियों यथा- प्रतिभूतिकरण, आस्ति पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति के प्रवर्तन के जरिये उनकी अनर्जक आस्तियों को वसूल करने का अधिकार प्रदान करता है। भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट, 2012-13 के अनुसार बैंकों ने सरफेयसी मार्ग के माध्यम से 18,500 करोड़ रुपये वसूल किए हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की संख्या घटी, किन्तु आस्तियों में मामूली वृद्धि

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत फर्मों की संख्या के जून,2013 के अंत तक मामूली तौर पर घट कर 12,225 रह ाने के परिणामस्वरूप गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के बारे में समेकन की अवधि परिलक्षित हो रही है। यह गिरावट मुख्यत: गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के पंीकरण प्रमाणपत्रों के निरसन और ानता से जमाराशिया स्वीकार करने वाली श्रेणी से जमा न स्वीकार करने वाली श्रेणी में स्थानांतरण के कारण आई है। 2012-13 के दौरान जनता से जमाराशियां स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसी-डी) के समेकित तुलनपत्र में 2.2% का मामूली-सा विस्तार हुआ। देयता पक्ष में जनता से जमाराशियां स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसी-डी) के लिए डिबेंचरों और सार्वजनिक जमाराशियों के बाद निधीयन का सबसे बड़ा स्रोत होने के बावजूद बैंकों से उधार में गिरावट आई। जनता से जमाराशियां स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसी- डी) में जहां आस्ति वित्तीयन कम्पनियों के तुलनपत्र में वृद्धि हुई,, वहीं ऋृण कम्पनियों के मामले में संकुान आया।

विनियामकों के कथन

वित्तीय समावेशन ने 2.5 लाख गांवों को बैकयोग्य बनाया

बैंकों का प्रसार-क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में 2.5 लाख तक विस्तृत हो गया है। भारतीय जनसंख्या के कम से कम आधे अंश तक बैंकिंग सेवाओं के साथ पहुंचने में कुछ और वर्ष लग सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार बैंकों द्वारा मार्ा 2010 में 67,000 बैंकिंग सेवा केन्द्रों के समक्ष मार्ा 2013 तक गांवों में 2,68,000 बैंकिंग सेवा केन्द्र खोले ा ुके हैं। इस अवधि में ग्रामीण केन्द्रों में 7,400 ईंट

और गारे वाली शाखाएं खुली हैं। लगभग 109 मिलियन मूलभूत बचत बैंक खाते खोले गए हैं, जिससे इनका योग 182 मिलियन हो गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री जी. पद्मनाभन की मान्यता है कि वित्तीय समावेशन में बैंकिंग सुविधा से वचित जन-समुदाय को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में प्रविष्ट करने की संभाव्यता है। इसकी परिणति बढ़ी हुई बचतों में हो सकती है, जिसके फलस्वरूप अंतत: आर्थिक विकास हो सकता है। भारतीय बैंकों ने हाथ में पकड़ी जाने वाली इलेक्ट्रॉ निक पैठ के साथ कारबार संपर्कियों की सेवाओं का उपयोग करना आरंभ कर दिया है। इससे सभी नये मूलभूत खातों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) -आधारित खातों की हिस्सेदारी मार्च 2010 के 25% से बढ़ कर मार्च 2013 में 45 % हो गई।

गावदुम ((Tapering)

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने कहा है कि "हम गावदुम, वह जब कभी घटित हो, का मुकाबला करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक और सरकार ने चालू खाते के घाटे (CAD) को कम करने का प्रयास किया है। हाल के दिनों में विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमारा शियां (FCNR (B) deposits) और बैंकों द्वारा पूंजी संग्रहण 12 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया है। अंतरराष्ट्रीय बाज़ार भारत में उधार लेने हेतु खुले हैं। चालू खाते का घाटा चाहे जितना भी हो, हम इसका वित्तीयन बाहरी मुद्रा से कर सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त इक्विटी अंतर्वाह भी मौजूद है। मैं किसी प्रकार के प्रवाह के बारे में अत्यधिक आत्मतुष्ट नहीं होना चाहता, क्योंकि जो अंदर आता है,वह बाहर भी जा सकता है। किन्तु तस्वीर मई से बदल गई है, जब चालू खाते का घाटा चरम पर था।"

ऋण पुनर्व्यवस्था नियंत्रण से परे

भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री बी. महापात्र के अनुसार बैंकिंग प्रणाली में समग्र आस्ति पुनर्निर्माण (जो जून में 3.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था) "नियंत्रण से परे" हो गया है। मार्च, 2010-11 तक यह लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर नियंत्रणीय था, किन्तु अब यह बढ़ कर 2.70 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यदि कम्पनी ऋण पुनर्व्यवस्था और बैंकों एवं कम्पनियों के बीच द्विपक्षीय पुनर्निर्माण के मामले एक साथ मिला दिए जाएं, तो यह 3.25 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक हो सकता है। कोई बैंक पुनर्निर्माण को तभी अपनाता है जब ऋण दबावग्रस्त हो तथा चूक का भय मौजूद हो। पुनर्निर्माण के तहत बैंक विशिष्ट रूप से दबावग्रस्त उधारकर्ताओं के लिए चुकौती अवधि बढ़ा देते हैं, अधिस्थगन प्रदान करते हैं तथा उधार दरें घटा देते हैं।

मुद्रास्फीति से निपटने के लिए ब्याज दर एक भोथरा साधन है

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन का कहना है कि "मुद्रास्फीति से निपटने के लिए ब याज दर केवल एक भोथरा साधन है; इसका उपयोग आवश्यक रूप से कभी-कभार और सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि यह विश्वभर के बैंकरों द्वारा मान्यताप्राप्त एकमात्र साधन है। अक्तूबर में

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति (खाद्य मदों की खुदरा कीमतों में उतार-चढ़ाव द्वारा मापी गई) बढ़ कर 10.9% के 7 माह के उच्च स्तर पर पहुंच गई। थोक मूल्य -आधारित (WPI-based) मुद्रास्फीति भी उसी माह में 7% तक बढ़ी। डॉ. राजन के अनुसार मुद्रास्फीति को आपूर्ति बढ़ा कर और मांग को धीमी रख कर नियंत्रित किया जा सकता है। विशिष्ट रूप से संतुलनकारी कार्रवाई वांछनीय है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मुद्रास्फीति नियंत्रण से परे न होने पाए, किन्तु हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हम एक ऐसी कमजोर अर्थव्यवस्था हैं जो स्वयं अपनी सहायता कुछ हद तक मुद्रास्फीति में करती है। दूसरे शब्दों में मांग भी कमजोर है।"

केवल नवोन्मेषकारी मॉडलों को बैंक लाइसेंस मिल सकता है

बैंकिंग पर एक वार्षिक सम्मेलन बैंकॉन में बोलते हुए वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि निजी बैंकिंग लाइसेंसों के लिए कुछ आवेदन बैंकिंग के विभिन्न मॉडलों के साथ प्राप्त हुए हैं। आदिवासी आबादी में लोगों की जरूरतें पूरी करने, उत्तर-पूर्व की जरूरतें पूरी करने, उन शहरी गरीबों की जरूरतें पूरी करने, जिनकी आवश्यकताएं ग्रामीण गरीबों से अलग हैं, के लिए हमें विभिन्न प्रकार के बैंकों की आवश्यकता है। हमें ऐसे बैंकों की भी जरूरत है जो मु ख्यत: कृषक परिवारों की जरूरतें और महिलाओं की भी जरूरतें पूरी करें। स्थापित बड़े बैंक इनमें से प्रत्येक की जरूरत पूरी करने हेतु साधनों को शीघ्रता से बदलने में समर्थ नहीं हो सकते। इसप्रकार, ऐसे बैंकों को बढ़ावा देना आवश्यक है जो हमारी जनता के अलग-अलग खण्डों की जरूरतें पूरी करें।

ई-भुगतान की दिशा में अभियान

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच.आर. खान का मत है कि "भारत को इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों की दिशा में अधिक प्रवृत्त होने तथा नकदी-आधारित अर्थव्यवस्था पर कम निर्भर रहने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के लाभों के बारे में सूचना का प्रसार सम्पूर्ण जनसंख्या, विशेषत: युवाओं में जागरूकता पैदा करेगा। जनता को धन के फर्जी प्रस्तावों और कपटपूर्ण योजनाओं के समक्ष सावधान रखने की भी आवश्यकता है।"

विदेशी मुद्रा

बाज़ारों को शांत करन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप के कारण रुपया मज़बूत हुआ

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन द्वारा इस बात के प्रति पुनराश्वस्त किए जाने के बाद कि भारतीय रिज़र्व बैंक तेल कम्पनियों के लिए डालर अदला-बदली सुविधा को वापस लेने में जल्दबाज़ी नहीं करेगा, रुपया शुरुआती हानियों की भरपाई करते हुए 41 पैसे की मज़बूती के साथ डालर के समक्ष 63.31 पर बंद हुआ। हाल ही में घरेलू इकाई तेल कम्पनियों और बैंकों से डालर की

भारी मांग का हवाला देते हुए अपने प्रारंभिक क्रय-विक्रय में डालर के समक्ष दो माह पहले वाले 63.68 के स्तर से भी अधिक गिर गया। उक्त इकाई 12 नवम्बर, 2013 को कमजोर पड़ कर 63.72 पर हुई थी । अब भारतीय रिज़र्व बैंक ने तेल कम्पनियों से ड़ालर की अधिसंख्यक मांग को बाज़ार की ओर वापस मोड़ दिया है, यद्यपि बाज़ारों के भय अतिरंजित हैं। डॉ. राजन ने पुनराश्वस्त किया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक डालर अदला-बदली सुविधा को वापस लेने में जल्दबाज़ी नहीं करेगा और यह कि तेल कम्प नियों को डालरों की चुकौती करने के लिए विविध विकल्प प्राप्त हैं। जुलाई और अगस्त में रुपये में हुए तीव्र मूल्यह्रास के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने तेल कम्पनियों को उनकी डालर से सम्बन्धित आवश्यकताएं पूरी करने हेतु डालरों की आपूर्ति करने का निर्णय लिया। इससे रुपये की मूल्यवृद्धि में सहायता प्राप्त हुई।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विशेष विदेशी मुद्रा सुविधा 31 दिसम्बर तक बढ़ाई

विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भण्डार को बढ़ाने और रुपये को सहारा देने के उद्देश्य से आरंभ की गई विदेशी मुद्रा की अदला-बदली की दोहरी सुविधा को मिले अच्छे प्रत्युत्तर के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को उनकी मूल पूंजी के समक्ष किन्तु एक शर्त के साथ उधार लेने हेतु इस सुविधा का उपयोग 31 दिसम्बर, 2013 तक करने की अनुमति प्रदान कर दी है। दूसरी अदला-बदली सुविधा थी विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के मार्ग के माध्यम से अनिवासी निधियां आकर्षित करने की। दोनों ही सु विधाओं से 22.5 बिलियन अमरीकी डालर प्राप्त हुए तथा इन्हें 30 नवम्बर को समाप्त किया जाना था। इस सुविधा के तहत बैंकों को अंतरराष्ट्रीय बैंकों / बहु-राष्ट्रीय एजेन्सियों से उनकी मूल पूंजी के 100% तक उधार लेने तथा उक्त रकम की भारतीय रिज़र्व बैंक से 3.5% की रियायती दर पर अदला-बदली करने की अनुमति दी गई थी।

दिसम्बर, 2013 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों लिबोर / अदला-बदली दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक के लिए लिबोर / अदला-बदली					
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.57800	0.389	0.660	1.055	1.510

जीबीपी	0.87225	0.8359.	1.1127	1.4459	1.7691
यूरो	0.45214	0.452	0.620	0.841	1.074
जापानी येन	0.36571	0.209	0.230	0.276	0.344
कनाडाई डालर	1.46000	1.369	1.561	1.812	2.053
आस्ट्रेलियाई डालर	2.61000	2.880	3.210	3.540	3.790
स्विस फ्रैंक	0.20240	0.120	0.220	0.389	0.595

डैनिश क्रोन	0.52650	0.6440	0.8270	1.0590	1.2940
न्यूजीलैंड डालर	3.20250	3.725	4.075	4.340	4.565
स्वीडिश क्रोन	1.12750	1.300	1.543	1.777	1.999
सिंगापुर डालर	0.33000	0.470	0.763	1.100	1.470
हांगकांग डालर	0.48000	0.580	0.820	1.180	1.530
एमवाईआर	3.30000	3.410	3.540	3.700	3.850

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	**22 नवम्बर , 2013 के दिन**	**22 नवम्बर, 2013 के दिन**
	बिलियन् रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2
कुल प्रारक्षित निधियां	18, 007.1	2 86,,263. 7
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	16, 302.0	2 58, 664. 7
ख) सोना	1, 303, 6	21, 2275. 3
ग) विशेष आहरण अधिकार	278,6	4, 420.7
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	122.9	1, 951.0

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

नयी नियुक्तियां

नाम	**पदनाम / संगठन**
श्री सुशील मुहनोत	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र
श्रीमती उषा अनंतसुब्रमणियन	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारतीय महिला बैंक

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य

भारतीय रिज़र्व बैंक	सेन्ट्रल बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड	सूचना के आदान-प्रदान हेतु और पर्यवेक्षकों के बीच सूचना के आदान-प्रदान हेतु एक औपचारिक किन्तु कानूनी तौर पर बाध्यकर नहीं, चैनल की व्यवस्था करना।
आईडीबीआई बैंक	केआईडब्ल्यू, जर्मनी	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और मूलभूत सुविधा क्षेत्र के वित्तीयन हेतु
आईसीआईसीआई बैंक	वोडाफोन इंडिया	मोबाइल धन अंतरण और एम-पेसा भुगतान सेवा की शुरुआत की गई। यह आबादी के बैंक-रहित और अल्प बैंकिंग सुविधा प्राप्त वर्गों की मोबाइल फोन के माध्यम से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करेगा।
ड्यूश बैंक	मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस	देशभर के बैंक ग्राहकों को बीमाकर्ता की स्वास्थ्य योजनाएं प्रदान करने हेतु।
येस बैंक	हाकी इंडिया लीग (HIL)	खेल में नवोन्मेषन लाने, हाकी में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने और खेलों को समर्थन प्रदान करने हेतु विविध हाकी संघों, टीमों और खिलाड़ियों के लिए ग्राहकीकृत बैंकिंग समाधानों के माध्यम से सुदृढ़ मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु।

सूक्ष्मवित्त

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों -सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्व-वि नियामक निकायों को मान्यता

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूक्ष्मवित्त में संलग्न गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFC-MFIs) के उद्योग संघों को स्व-विनियामक संगठनों के रूप में मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इससे गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों -सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की प्रभावी निगरानी, विनियमों और आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित होगा तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों -सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के ग्राहकों को सहायता

प्राप्त होगी। इसके पूर्व भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूक्ष्मवित्त क्षेत्र से जुड़े मुद्दों एवं (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं की) चिंताओं का अध्ययन करने हेतु श्री वाई.एच. मालेगाम की अध्यक्षता में अपने केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों की एक समिति नियुक्त की थी। उक्त समिति ने जो सुझाव दिए थे उनमें से एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों - सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा विनिमनों के अनुपालन में उद्योग संघों को अधिकाधिक उत्तरदायित्व संभालने से सम्बन्धित था।

बीमा

13

इर्डा को 'प्रयोग करें और प्रस्तुत करें" योजना पर बीमाकर्ताओं के उत्तर अभी तक नहीं मिले

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के अध्यक्ष श्री टी.एस. विजयन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्राधिकरण को बीमा कम्पनियों से बीमा उत्पादों के प्रवर्तन की प्रस्तावित 'प्रयोग करें और प्रस्तुत करें' पद्धति के तहत कोई उत्तर अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। 'प्रयोग करें और प्रस्तुत करें' प्रणाली बीमाकर्ताओं को मूल बीमा उत्पाद को पहले बाज़ार में उतारने और उसके बाद अनुमोदन के लिए विनियामक को प्रस्तुत करने की अनुमति देती है। वर्तमान में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) बीमाकर्ताओं को उत्पादों की शुरुआत करने की अनुमति 'प्रस्तुत करें और प्रयोग करें' प्रणाली के तहत देता है, जिसमें उनसे किसी उत्पाद की शुरुआत करने से पहले अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने जीवन बीमा कम्पनियों और सामान्य बीमा कम्पनियों से उन उत्पादों की जातियां सुझाने के लिए कहा है जिनके लिए पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। उसके मानकीकृत हो जाने पर 'प्रयोग करे और प्रस्तुत करें' पद्धति का उपयोग उत्पाद के अनुमोदन हेतु किया जा सकता है।

बैंकिंग मामलों से सम्बन्धित कानून

बैंकिंग सेवा

- प्रतिवादी पक्ष बैंक ने शिकायतकर्ता द्वारा मोटर वाहन कर की जमा को इस आधार पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि जिला परिवहन प्राधिकरण ने उनके पास कोई खाता नहीं खोल रखा है, यह विनिर्णय दिया गया कि बैंक का इनकार समझनेयोग्य है। किसी भी स्थिति में, चूंकि शिकायतकर्ता ने प्रतिवादी पक्ष बैंक में कोई खाता नहीं खोल रखा है। यह विनिर्णय दिया गया कि वह उक्त अधिनियम के अधीन उपभोक्ता नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा प्रतिवादी पक्ष से न तो कोई माल खरीदा गया था और न ही प्रतिफल के लिए कोई सेवा प्राप्त की गई थी। ऐसी परिस्थितियों में शिकायत को स्वीकार्य नहीं माना गया। नवल किशोर शर्मा बनाम लेखाकार, भारतय स्टेट बैंक - 1992 (2)सीपीआर 645 (एससीआरडीसी -बिहार)।

- एक भागीदारी फर्म के नाम पर बैंक खाता बैंक को इस अनुदेश के साथ खोला गया था कि खाते को दो भागीदारों द्वारा परिचालित किया जाएगा, जिसमें शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर का आवश्यक रूप से समावेश होगा। इस बीच शेष तीन भागीदारों को खाते को परिचालित करने की अनुमति देते हुए एक विवाचन अधिनिर्णय पारित किया गया। बैंक ने कानूनी राय लेने के बाद अनुपूरक अधिनिर्णय के अनुसार खाते के परिचालन की अनुमति दी। जब विवाचन अधिनिर्णय के अनुसार खाते के परिचालन पर आपत्ति उठाई गई, तो, बैंक ने अपने वरिष्ठ वकील से एक और सलाह ली तथा खाते में आगे के परिचालनों को रोक दिया। मामले से जुड़े तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने यह विनिर्णय दिया कि बैंक ने लापरवाही से काम

किया ऐसा नहीं कहा जा सकता। मैसर्स सेठ मोहन लाल हीरालाल बनाम पंजाब नैशनल बैंक एवं अन्य 1993 (3) सीपीआर 209 (एनसी)

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

बासेल III- पूंजी विनियमन

बासेल III पर चर्चा को जारी रखते हुए हम निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करते हैं :

ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन बाहरी साख श्रेणी-निर्धारण एजेन्सियों की पहचान की है, जो संशोधित ढांचे के अधीन विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंड पूरा करती हैं। बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे बासेल III दिशानिर्देशों में दी गई मैपिंग के अनुसार पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्यों के लिए जोखिम-भार निर्धारित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा-अभिज्ञात बाहरी साख श्रेणी-निर्धारण एजेन्सियों का चयन करें।

घरेलू सॅवरेनों (मानक आस्तियों) पर दावे :

क. केन्द्रीय सरकार द्वारा गारंटीकृत दावों सहित केन्द्रीय सरकार पर निधि -आधारित और गैर-निधि-आधारित दोनों ही दावों पर शून्य जोखिम-भार लागू होता है।

ख. बैंकों की राज्य सरकार के प्रति प्रत्यक्ष ऋणों/ साख / ओवरड्राफ्ट अनाश्रयता (Exposure), यदि कोई हो तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश पर शून्य जोखिम-भार लागू होता है, राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत दावों पर 20% का जोखिम-भार लागू होगा।

ग. केन्द्रीय सरकार के प्रति अनाश्रयता (Exposure) पर लागू जोखिम-भार भारतीय रिज़र्व बैंक, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हेतु ऋण गारंटी न्यास (CGTMSE) और कम आय वाले आवासों के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास (CEGFTLIH) पर भी लागू होगा। निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC) पर दावों पर 20% का जोखिम-भार लागू होगा।

घ. कृषि ऋण माफी योजना 2008 के तहत भारत सरकार से प्राप्य रकम भारत सरकार पर दावा मानी जानी चाहिए और उस पर शून्य जोखिम-भार लागू होगा, जबकि ऋण राहत योजना में शामिल खातों में बकाया रकम उधारकर्ता पर दावा मानी जानी जानी चाहिए तथा वर्तमान मानदंडों

के अनुसार जोखिम-भारित की जानी चाहिए।

विदेशी सॉवरेनों पर दावे

विदेशी सॉवरेनों पर विदेशी मुद्रा में दावे भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र में यथा-वर्णित नियत श्रेणी-निर्धारण के अनुसार होंगे। उसी मुद्रा में संसाधनों से निपटाए जाने वाले विदेशी सॉवरेनों की घरेलू मुद्रा में मूल्यवर्गित दावों के मामले में शून्य जोखिम-भार लागू होगा।

सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों/संस्थाओं पर दावे

घरेलू सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों/संस्थाओं और प्राथमिक व्यापारियों (PD) पर दावे विदेशी श्रेणी-निर्धारण एजेन्सियों द्वारा निर्धारित श्रेणियों के अनुसार कारपोरेटों और विदेशी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों/संस्थाओं वाली रीति से ही जोखिम-भारित किए जाएंगे।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम को बाज़ार की कीमतों या दरों में किसी लेनदेन या करार में वर्णित दरों या कीमतों से परे उतार-चढ़ावों से होने वाली हानि के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। बाज़ार जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति द्वारा 1988 के पूंजी करार (बासेल I ढांचे) के जनवरी ,1996 के बाज़ार जोखिम संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था। बाज़ार जोखिमों को सुरक्षित करने हेतु पूंजी की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए दो कार्यप्रणालियां उपलब्ध हैं :

1) मानकीकृत मापन पद्धति : वर्तमान में रिज़र्व बैंक द्वारा कार्यान्वित की जा रही इस पद्धति में ब्याज दर से सम्बन्धित और इक्विटी लिखतों के लिए वह 'अवरोधक' दृष्टिकोण अपनाया जाता है जो 'विशिष्ट जोखिम' के लिए पूंजी की आवश्यकता को 'सामान्य बाज़ार जोखिम' की आवश्यकता से अलग रखता है। 'विशिष्ट जोखिम प्रभार' किसी विशिष्ट प्रतिभूति की कीमत में वैयक्तिक जारीकर्ता से सम्बन्धित कारकों के आधार पर होने वाले किसी प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के समक्ष संरक्षित करने हेतु तैयार किया गया है। 'सामान्य बाज़ार जोखिम प्रभार' पोर्टफोलियो में ब्याज दर जोखिम से संरक्षित रखने हेतु तैयार किया गया है।

2) आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (IMA) : यह पद्धति बैंकों को उनकी उस स्वामित्वपूर्ण आंतरिक पद्धति का उपयोग करने में समर्थ बनाती है जिसे बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति द्वारा निर्धारित गुणवत्तापरक और मात्रात्मक मानदंडों को अवश्य पूरा करना चाहिए तथा जो पर्यवेक्षी प्राधिकारी के सुस्पष्ट अनुमोदन के अध्ययीन हाती है।

शब्दावली

जोखिम-भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी अनुपात

जोखिम-भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी अनुपात का निर्धारण बैंक की पूंजी को ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए कुल जोखिम-भारित आस्तियों से विभाजित कर के किया जाा है। किसी बैंक का जोखिम-भारित परिसम्पत्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (CRAR) जितना अधिक होता है, बैंक उतना ही बेहतर पूंजीकृत होता है।

संस्थान की गतिविधियां

दिसम्बर, 2013 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

क्रम सं.	कार्यक्रम	दिनांक
1	वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए 2रा बैंक कार्यपालक कार्यक्रम	9 से 14 दिसम्बर ,2013
2	सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा और साइबर अपराधों पर 5वां कार्यक्रम	16 और 17 दिसम्बर, 2013

नवम्बर, 2013 माह के दौरान पूरी की गई प्रशिक्षण गतिविधियां

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि
1	प्रस्तावित भारतीय महिला बैंक के कर्मचारियों के लिए शाखा परिचालन कार्यक्रम	2 से 6 नवम्बर, 2013
2	लघु एवं मध्यम उद्यम वित्तीयन पर 6ठा कार्यक्रम	25 से 29 नवम्बर, 2013

संस्थान समाचार

सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास स्मारक व्याख्यान (Sir PTML)

वर्ष 2013 के लिए "वित्त एवं वहनीयता : विनियामक और रणनीतिक आयाम" विषय पर 30वां सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास स्मारक व्याख्यान 3 दिसम्बर, 2013 को भारतीय रिज़र्व बैंक के भूतपूर्व उप

गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण द्वारा दिया गया। उक्त व्याख्यान में विविध बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों, कार्यपालक निदेशकों और अन्य उच्च पदाधिकारियों की अच्छी-खासी उपस्थिति रही।

विनियामक मार्गदर्शन

अभ्यर्थीगण कृपया इसे ध्यान में रखें कि किसी विशिष्ट वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर और मई / जून के दौरान संस्थान द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में विनियामक/कों द्वारा उस वर्ष

की क्रमश:31 जुलाई और 31 दिसम्बर तक जारी अनुदेशों/ दिशानिर्देशों पर ही विचार किया जाएगा ।

सूक्ष्म / स्थूल शोध

संस्थान द्वारा वर्ष 2013 के लिए स्थूल शोध प्रस्ताव और सूक्ष्म शोध आलेख आमंत्रित हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

हीरक जयन्ती और सीएच भाभा ओवरसीज रिसर्च फेलोशिफ

संस्थान हीरक जयन्ती और सीएच भाभा ओवरसीज रिसर्च (DJCHBR) फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / उत्तर-पूर्व -295/ 2013 -15 * प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित

ई-मेल के जरिये आईआईबीएफ विजन

संस्थान ने उसके पास पंजीकृत सभी ई-मेल पतों पर आईआईबीएफ विजन ई-मेल करना आरंभ कर दिया है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करवाए हैं, उनसे अनुरोध

है कि वे उसे संस्थान के पास यथा-शीघ्र पंजीकृत करवा लें। आईआईबीएफ विजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की वेबसाइट पर डाउनलोड करने हेतु भी उपलब्ध है।

नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये भेजने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें।

बाज़ार की खबरें

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

108.00
103.00
98.00
93.00
88050
83.00
78.00
73.00
68.00
63.00
58.00

01/11/13 05/11/13 07/11/13 11/11/13 13/11/13 14/11/13 18/11/13 20/11/13
21/11/13 25/11/13 26/11/13

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- अक्तूबर के अंतिम दिन रुपया प्रति डालर 61.50 पर बंद हुआ।
- कुछ कमजोरी दर्शाते हुए रुपया 62.40 पर बंद हुआ।
- अमेरिका में नौकरियों के आकड़ों के अपेक्षित से बेहतर होने के कारण फेड द्वारा मौद्रिक प्रोत्साहन शीघ्र बंद किए जाने का भय बढ़ जाने के बाद 11वीं को डालर के समक्ष रुपया 77 पैसे लुढ़क कर 63.24 के दो महीने पहले के न्यून स्तर

पर पहुंच गया।

- 12वीं को अमरीकी डालर के समक्ष 47 पैसे लुढ़क कर रुपया 63.71 के दो महीने पहले वाले न्यून स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि वृद्धि को प्रेरित करने हेतु अमरीकी फेड द्वारा निर्धारित उस सहज मुद्रा नीति, जिसके फलस्वरूप डालरों की बाढ़ आ गई, के आसन्न समापन (wind-down) का भय बढ़ जाने के बावजूद आयातकों ने मांग भड़का दी।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा घटे हुए चालू खाते के घाटे के बारे में बात करने से 13वी को रुपया 47 पैसे ऊपर चढ़ कर प्रति डालर 63.30 पर बंद हुआ।
- माह के दौरान रुपया डालर, स्टर्लिंग और यूरो के समक्ष क्रमश: 2.86%, 2.63% और 1.05% मूल्यह्रासित हुआ और जापानी येन के समक्ष 3.34% मुळ्यवर्धित हुआ।

भारित औसत मांग दरें

9.00
8.50
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00

01/11/13 02/11/13 05/11/13 06/11/13 08/11/13 09/11/13 12/11/13 16/11/13 19/10/13 23/11/13 25/11/13 28/11/13 29/11/13

स्त्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, अक्तूबर, 2013

- दरें व्यापक रूप से श्रेणीबद्ध रहीं।
- माह के दौरान चलनिधि की स्थिति सहज रही।
- दरें 6.69% के उच्च और 6.77% के उच्च स्तर के बीच घटती-बढ़ती रहीं।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

21400
21200
21000
20800
20600
20400
20200

20000
19800
19600

01/11/13 03/11/13 05/11/13 08/11/13 12/11/13 13/11/13 14/11/13 19/11/13 20/11/13
21/11/13 25/11/13 26/11/13

स्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (BSE)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न दिसम्बर, 2013